



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 4100/2026

चन्दन सिंह

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता	: - रमाकर शुक्ला, आनंद प्रताप सिंह
विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता	: - शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रार्थी की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना- तरबगंज, जिला - गोंडा में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 316/2025 में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा संलिप्त किया गया है। उनका आगे यह तर्क है कि प्रार्थी प्रश्नगत संपत्ति का केवल एक क्रेता है और उसके साथ स्वयं धोखाधड़ी हुई है; हालांकि, उसे वर्तमान मामले में फंसाया गया है। यह तर्क भी दिया गया है कि सह-अभियुक्त, अर्थात् भूपेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, जिसकी समान भूमिका है, को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 616/2026 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह तर्क है कि प्रार्थी का दो मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे जमानत प्रार्थनापत्र के पैरा 32 और 33 में सम्यक रूप से स्पष्ट किया गया है। यह तर्क भी दिया गया है कि प्रार्थी दिनांक 20.04.2026 से जेल में निरुद्ध है और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसलिए, वह भी जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, प्रार्थी जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थी को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं करते हैं कि सह-अभियुक्त भूपेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के परस्पर विरोधी तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों, सह-अभियुक्त भूपेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के जमानत आदेश, समानता के आधार के साथ-साथ तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए, मेरी राय है कि प्रार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. प्रार्थी - **चन्दन सिंह** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप ₹25,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) प्रार्थी पर जैसा अपराध करने का आरोप है या संदेह है, वह ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भागीदार नहीं होगा।

(ii) प्रार्थी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) प्रार्थी इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में साक्षीगण उपस्थित हो, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भारतीय दंड संहिता/269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-क भारतीय दंड संहिता/209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के प्रारंभ होने (2) आरोप विरचित होने और (3) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता/351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत की गई तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में प्रार्थी की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय इस प्रकार की चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और विद्वान् अवर न्यायालय जमानत निरस्तीकरण के मामले में समुचित आदेश पारित करने के लिये

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

8 जून, 2026

प्रीति

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।